Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ को रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत गेरवानी नाला से स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. कैप्टिव पावर प्लांट तक के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु कक्ष क्रमांक 834 के 0.078 हे. एवं कक्ष क्रमांक 815 के 0.039 हे.; कुल रकबा 0.117 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 22 -06-2021

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,

C.G. Govt.

Forest & Climate Change Department

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–05/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/06/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण ,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय :– **आवेदनकर्ता मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. कैप्टिव पावर प्लांट तक के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–770/311, दिनांक 03.02.2021 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–770/741, दिनांक 15.03.2021।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत गेरवानी नाला से स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. कैप्टिव पावर प्लांट तक के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु कक्ष क्रमांक 834 के 0.078 हे. एवं कक्ष क्रमांक 815 के 0.039 हे.; कुल रकबा 0.117 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1–7
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/PIPELINE/37602/ 2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि भू–प्रबंध प्रभाग के पत्र दिनांक 19.11.2020 के आधार पर की जाती है। वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा जानकारी दी गई है कि पंजीयन शुल्क रू. 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराया गया है। उक्त राशि कोषालय में चालान क्रमांक 103 दिनांक 27.05.2019 द्वारा जमा कर दिया गया है।	8–14
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल के प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल में कक्ष क्रमांक 834 के 0.078 हे. एवं कक्ष क्रमांक 815 के 0.039 हे.; कुल रकबा 0.117 हे. स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वाट केप्टिव पावर प्लांट के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	15
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित परियोजना में 0.275 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	16
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	17–18
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	19–22

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र – 4 में यह व्यपवर्तन प्रस्ताव ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला नैसर्गिक स्त्रोत से पानी ले जाने हेतु लगभग दो किमी. पाईप लाईन बिछाने हेतु है। उक्त पानी का उपयोग निकट में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. केप्टिव पावर प्लांट में किया जावेगा। परियोजना की प्रशासकीय लागत 25 लाख रू. है।	23–28
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** प्रस्ताव में संलग्न है।	29–31
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	32
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है जो वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।	33
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है (प्रस्ताव पृ. क्र. –38)। इसके आधार पर यह सहमति व्यक्त की जाती है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की इस प्रस्ताव में आवश्यकता नहीं है।	34–47
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र –अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 43 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।	48–54
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	55–59
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में केवल वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।	60
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्ताव में केवल वन भूमि प्रभावित हो रहा है। अतएव गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा आवश्यक नहीं है।	61
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 0.117 हे. के प्रस्तावित प्रकरण 1.00 हे से कम होने के कारण विदोहित होने वाले 43 वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्ष रोपित करने हेतु योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।	62
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** बिन्दु क्र. 16 अनुसार।	63
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि मे कोई भी कार्य प्रारंभ नही हुआ है एवं उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नही किया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	64

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	65
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है। अतः जानकारी निरंक है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	66
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र** –लागू नहीं।	67
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान** – प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।	68
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।	69
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	70
25	**यवस्थापन प्लान –** प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।	71
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल द्वारा दिनांक 19.12.2020 से आवेदित वन भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है तथा तत्पश्चात भाग–2 पर अन्य कोई विकल्प न होने के कारण प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रभावित वन का घनत्व 0.1 से 0.4 के मध्य है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ के सुझावों से सहमति व्यक्त की गई है तथा प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त की निर्धारित प्रपत्र भाग–3 पर अनुशंसा उनके पत्र दिनांक 21.01.2021 से संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई है।	72–80
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि मे पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व के स्थल पर मूर्ति या चिन्ह का समोवश नही है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	81
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि मे पाईप लाईन बिछाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	82–83
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** रायगढ़ वन मंडल की कुल वन भूमि 324301.500 वर्ग कि.मी. है।	84

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** रायगढ़ वनमंडल में 64 प्रकरणों के लिए 3758.555 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	85–91
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 5 प्रकरण में 2.015 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।	92
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. के प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नही है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि के अंतर्गत हाथियों का आवागमन होता रहता है, जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	93
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	94
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में अनुभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 13.10.2020 को जारी की गई है।	95–96
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2020 को जारी किया गया है प्रस्ताव में संलग्न है।	97–100
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र एवं गणना पत्रक संलग्न है।	101–102
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	103
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल के टीप अनुसार प्रस्तावित स्थल की मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें ह्यूमस, लगभग सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों/वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है।	104
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	105
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	106
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	107–109
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम–तराईमाल, ब्लाक–तमनारा जिला–रायगढ़ के निकट स्थापित आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 में वा. केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गरेवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने कुल 0.117 हे. मे पाईप लाईन बिछाने कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में वन्य प्राणी परियोजना की आवश्कता नही है।	110

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** – आवश्यकता नहीं।	111
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण** – डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।	112–113

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–05/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/06/2021

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।

2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता, प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि., ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग